# कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
## जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

दूरभाष (का.) 07868 –241222 (नि.) 222288, फैक्स (का.) 241801 (नि.) 222960

–:: आदेश ::–

(दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत)

क्रमांक / कले / SW / 2020 / 850 — कांकेर, दिनांक 08 मई, 2020

नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, के आदेश No.40-3/2020-DM-I(A)Dated 01 May 2020 में प्राप्त निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक A218 / स.सा.प्र.वि / 2020 नवा रायपुर अटल नगर दिनॉक 03.05.2020 के परिपालन में कार्यालयीन आदेश क्रमांक / कले / SW / 2020 / 832 कांकेर, दिनांक 03 मई, 2020 एवं संशोधित आदेश क्रमांक / कले / SW / 2020 / 839 कांकेर, दिनांक 05 मई, 2020 द्वारा जिले में **केवल स्थापना अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड दुकान / प्रतिष्ठानों को** संचालन की अनुमति दी गई है ।

राज्य शासन के निर्देशानुसार मई के महिने में **प्रत्येक शनिवार एवं रविवार** को **लॉकडाउन** किये जाने की निर्देश के परिपालन में **सम्पूर्ण जिला उत्तर बस्तर कांकेर में प्रत्येक शनिवार एवं रविवार** को **पूर्णतः तालाबंदी** किये जाने के आदेश दिए जाते हैं।

जिले में पूर्णतः लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं से संबंधित दुकान / प्रतिष्ठान – मेडिकल स्टोर्स, दूग्ध दुकान, फल दुकान, पेट्रोल पंप, एलपीजी गैस एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों ( आदेश क्रमांक / कले / SW / 2020 / 832 कांकेर, दिनांक 03 मई, 2020 की शर्तों के अधीन संचालन की अनुमति होगी) को छोडकर **साप्ताहिक हाट–बाजार** एवं सभी प्रतिष्ठान / संस्थान को **प्रत्येक सप्ताह शुक्रवार की शाम 4.00 बजे से रविवार की रात्रि 12.00 बजे तक** खोलने की अनुमति नहीं होगी।

उपरोक्त आदेश का उल्लघंन किए जाने की दशा में ऐपिडेमिक एक्ट 1897, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, भारतीय दण्ड संहिता 1973 की धारा 144 (1), पब्लिक एक्ट 1949, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60, छत्तीसगढ़ ऐपीडेमिक डीसीजेज कोविड–19 विनियम 2020 एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों के तहत् जैसे लागू हो, के अंतर्गत विधिक दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी ।

( के. एल. चौहान )
कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला उत्तर बस्तर कांकेर

–2–

पृ. क्रमांक / कले / SW/2020 / 848-A  कांकेर, दिनांक 08 मई, 2020

**प्रतिलिपि :–**

1. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह (पुलिस) विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित्।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित्।
3. आयुक्त महोदय, बस्तर संभाग, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित ।
4. पुलिस उप महानिरीक्षक कांकेर रेंज कांकेर।
5. पुलिस अधीक्षक, जिला उत्तर बस्तर कांकेर ।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जिला उत्तर बस्तर कांकेर।
7. सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी, जिला उत्तर बस्तर कांकेर।
8. सर्व अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), जिला उत्तर बस्तर कांकेर ।
9. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला उत्तर बस्तर कांकेर।
10. उप संचालक, जनसंपर्क, कांकेर को सूचनार्थ एवं समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।
11. सर्व तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी जिला उत्तर बस्तर कांकेर को पालनार्थ ।
12. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, जिला उत्तर बस्तर कांकेर ।
13. सर्व मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका / नगर पंचायत जिला उत्तर बस्तर कांकेर।
14. अध्यक्ष, चेम्बर ऑफ कॉमर्स जिला उत्तर बस्तर कांकेर।

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला उत्तर बस्तर कांकेर